

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Signature
AC Nemo-Ganesh Kumar [Signature]
AC Code- UP14 81204
Wards-Collectorate Kacheari-Basti
Address No. 139 Takola & District-Basti
Mobile No-7398136522

₹10

e-Stamp

Certificate No.

: IN-UP09583079536526U

Certificate Issued Date

: 06-Jun-2022 09:20 AM

Account Reference

: NEWIMPACC (SV)/ up14481204/ BASTI SADAR/ UP-BST

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UPUP1448120410780793965053U

Purchased by

: GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT

Description of Document

: Article 24 Copy or Extract

Property Description

: Not Applicable

Consideration Price (Rs.)

:

First Party

: GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT

Second Party

: Not Applicable

Stamp Duty Paid By


: GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT

Stamp Duty Amount(Rs.)

: 10

(Ten only)

₹10



Please write or type below this line

IN-UP09583079536526U

जनरल स्टाम्प पेपर... ग्रामीण सहायक निबन्धन
 जिला... कास्टी... घाइल नं०... 24702
 साथ उत्तम है।

सहायक रजिस्ट्रार
फस्ट सेक्युरिटीज एवं चिट्ठ
गोपनीय (उ० प्र०)
10/6/22

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

संशोधित सूति – पत्र

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. संस्था का नाम | : | ग्रामीण विकास सेवा समिति |
| 2. संस्था का पता | : | ग्राम – मैसहिया, पोस्ट – दुधौरा (डिलिया)
विकासखण्ड – बरस्ती सदर,
तहसील व जिला – बस्ती (उ० प्र०) 272002 |
| 3. संस्था का कार्य क्षेत्र | : | सम्पूर्ण भारत वर्ष |
| 4. संस्था का उद्देश्य | : | संस्था के निम्न उद्देश्य होंगे:- |

- निवासियों के लिए सुविधायें प्रदान करना।**

 - गांवों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास के अवसर जुटाने हेतु योजनाओं/परियोजनाओं का संचालन तथा कृषि व वन वाटिका के क्षेत्र में औद्योगिक (बाग बगीचों को बढ़ावा देने) हेतु कार्य करना।
 - स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, बाल संरक्षण, छोटे व मझोले महिला/पुरुष किसानों के विकास, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता आदि हेतु जागरूकता कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं/जागरूकता का संचालन करना।
 - निवासियों के लिए सुविधायें प्रदान करना।**
 - स्वच्छता कार्यक्रमों/एड्स से ग्रसित व्यक्तियों के लिए सरकारी सुविधायें प्रदान करना एवं जन जागरूकता के माध्यम से समाज में फैली भ्रन्तियों को समाप्त करना। एच०आई०वी०/एड्स से ग्रसित बच्चों (०-१८ वर्ष) के देखभाल एवं संरक्षण हेतु सेल्टर होम/बाल गृह की स्थापना करना एवं सामाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना।
 - कन्दू व सज्ज सरकारी योजनाओं/स्कीमों/परियोजनाओं का संचालन एवं प्रचार-प्रसार करना।
 - कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्य हेतु विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं परियोजनाओं अथवा योजनाओं को संचालित करना।
 - बालिकाओं के बालकों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर के विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक की स्थापना करना तथा तकनीकी व व्यवसायिक ज्ञान के विकास हेतु कार्य करना, जैसे— नेशनल ट्रेनिंग सेन्टर फॉर टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट के नाम से अथवा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण व शोध केन्द्रों की स्थापना करना।
 - मद्यनिषेध (नशा मुक्ति केन्द्र, हॉस्पिटल) की स्थापना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिलाई, कढाई, पोषाक डिजाइन, पेटिंग, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, हस्तकला, शिल्पकला आदि के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा पुस्तकालयों, वाचनालयों, संग्रहालयों की स्थापना एवं खेलकूद के मैदान एवं इनडोर गेम के साथ मनोरंजन की व्यवस्था सम्बंधी कार्य करना।
 - समाज में व्याप्त रुद्धियों को दूर करने जैसे : बाल विवाह, बाल श्रम, विधवा विवाह, बाल शोषण आदि के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना तथा बाल कलब, बाल विज्ञान कलब, बाल बाड़ी, डे केयर सेन्टर आदि के माध्यम से बालक/बालिकाओं में शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक विकास हेतु कार्य करना।

जनक दुलारी

Chisholm

विद्यावती

二十一

Shim
Dmcs.

कालाकी दिवी

सहायक रजिस्ट्रार
फम्स, सेसीइटीज एवं चिट्ठा
प्रोपर्टीज़ (३० पर)

9. ग्रामीणों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए कार्य करना सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, राष्ट्रीय परिवार, स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम में सक्रीय सहयोग के लिए करना।
10. समाज के विकास हेतु महिला एवं बाल विकास सम्बंधी कार्यों को करना तथा समाज कल्याण सम्बंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।
11. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने, उनके आर्थिक विकास सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिसमें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण निदेशालय तथा केन्द्र व राज्य सरकार, कपाट की अनेक बालक/बालिकाओं एवं महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने एवं आत्म निर्भर बनाने का कार्य करना।
12. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषकों में कृषि की नवीनतम लाभकारी विधियों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण, सेमीनार के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना तथा उन्नतशील बीजों को सस्ती दरों पर उल्लङ्घन कराने की व्यवस्था करना।
13. दैवी आपदा सूखा एवं बाढ़ तथा साम्प्रदायिक दंगों से ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों के पुर्नवास की व्यवस्था करना तथा उनकी सहायता करना।
14. पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वनीकरण, बनवाटिका, पौधशालाओं की स्थापना करना, जडीबूटियों की योग्य भाँति का उपजाऊ बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना तथा सेमीनार, गोष्ठी, वर्कशाप, रेली, एवं नारा लेखन के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।
15. समाज के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (आदिवासी), अल्पसंख्यक जाति जैसे जनसमुदाय के विकास के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना। सम्महिलाओं/बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन करना, महिला बण्डल का गठन करना, बचत हेतु जागरूकता पैदा करना।
16. ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु गरीब, निर्धन, अल्पसंख्यक, पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार के बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने हेतु शैक्षिक और सामाजिक, आर्थिक स्तर को ऊँचा उठान सम्बंधी कार्यों को करना। कलाओं एवं शिल्पों में स्कूलों, हास्टलों, आश्रम स्कूलों, प्रशिक्षण केन्द्रों, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, बाल बाड़ियों, बाल केन्द्रों बाल स्वास्थ्य समूह गठन करना और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति समुदाय के लाभार्थियों हेतु अस्पतालों/सचल औषधालयों की स्थापना करना, आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता के लिए कार्य करना।
17. समाज के कल्याणी निःसहाय लोगों के सहायतार्थ रक्त दान, नेत्र दान के लिए गोष्ठी एवं कैम्प का आयोजन करना तथा कुष्ठ रोग व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए कार्य करना।

राम कौर

Dishad

विद्यावती

शमीतला

Jmca -

जनक पुलारी

कृताकारी दीवी दीवी

सहायक संजिस्ट्रार
फमस, सेसाइटीज एवं चिट्टपुर (उ० प्र०)

18. विकलांग व्यक्तियों के सहायतार्थ कार्य करना, मानसिक मंदता, शारीरिक (अस्थि विकलांग), मूक बधिर, दृष्टिहीन (दृष्टि बधित), कूप्ठ रोग से ठीक होने के बाद विकलांग जैसे व्यक्तियों की पहचान करना, प्राथमिक स्तर का हस्तक्षेप तथा अपंगता का निवारण, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पुर्नवास : शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक, आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में कार्य करना। विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों, प्रशिक्षण केन्द्रों, छात्रावासों, विशेष स्कूलों में शिक्षण व प्रशिक्षण कार्य करने हेतु मानव संशाधन तैयार करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना। विकलांग व्यक्तियों के सहायता यन्त्रों की उपलब्धता के लिए उपकरण की खरीद/फिटिंग करना और उसे लाभार्थियों को उपलब्ध कराना।

19. महिला/पुरुष समूहों का गठन करना एवं उनकी आजीविका संवर्द्धन हेतु कार्य करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।

20. अनाथआलयों/बाल गृह के माध्यम से निराश्रित व बेसहारा बालक/बालिकाओं एवं वृद्ध व्यक्तियों के पुर्नवास एवं कल्याण हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। निराश्रित व बेसहारा बालक/बालिकाओं को चाइलड लाइन 1098 के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सेवाओं को उपलब्ध कराना।

21. संघर्षसमाज के विकास हेतु समाज के विकास हेतु समाज रक्षा, शिक्षावृत्ति निवारण, किशोर सामाजिक कुसमंजन की रोकथाम तथा नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करना।

22. मानवाधिकार विषयक क्षेत्र में कार्य करना, जीव जन्तु कल्याण व उपभोक्ता जागरूकता सम्बंधी कार्य करना तथा धिक्कार सेवा के क्षेत्र में कार्य करना।

23. संस्था उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता पड़ने पर बैंकों, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार, लिमिटेड एवं संघ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सम्मानित व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों तथा विदेशी एजेन्सियों, कपाट, महिला कल्याण निगम, विश्व बैंक एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी के तहत विभिन्न कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग के काम में ऋण, दान, अनुदान व चन्दा प्राप्त करना तथा नियमानुसार व्यय करना और आवश्यता पड़ने पर संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति को गिरवी/बंधक रखना।

24. ग्रामीण क्षेत्र के विकास, समाज के कल्याणार्थ ऐसे कार्यकर्मों और योजनाओं का संचालन करना जिसे ग्रामीण विकास सेवा समिति समय-समय पर उपयुक्त समझें।

व्यापारी

जनक पुस्तकी

Nishad

ग्रामीण

विद्यावाची

Srin

कानक दीपी

Dinesh

सहायक संजिस्ट्रार
फमस, सोसाइटीज एवं चिट्ट
गोरखपुर (उ० प्र०)

संस्था के प्रबंधकरिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय जिसको संस्था के इस स्मृति पत्र और नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री रामबोध	श्री महाबल	ग्रा०-भैंसहिया, पो०-दुधोरा, जिला-बरस्ती	अध्यक्ष	कृषि
2	श्री विनीत निषाद	श्री रामराज निषाद	टाइन 3 ब्लाक, नं०-13400 केंद्री०, प्यागीपुर, सुल्तानपुर	उपाध्यक्ष	नौकरी
3	श्री अम्बुज कुमार यादव	स्व० राम ललित	ग्रा०-भैंसहिया, पो०-दुधोरा, जिला-बरस्ती	सचिव/प्रबंधक [REDACTED]	व्यापार
4	श्री राम कवल यादव	श्री लौटू यादव	ग्रा०-लखनपुरवा, पो०-सेहुड़ा कला, जिला-बरस्ती	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5	श्री रामफेर यादव	स्व० श्री रामदास	ग्रा०-सेमरा, पो०-पुरोना मनसूर, जिला-बरस्ती	लेखापरीक्षक	नौकरी
6	श्रीमती केतकी देवी	श्री राम प्रकाश	ग्रा०-लखनपुरवा, पो०-सेहुड़ा कला, जिला-बरस्ती	सदस्य	गृहणी
7	श्रीमती जनक दुलारी	श्री राम प्रसाप	ग्रा०-बस्यटवा, पो०-धोषण, जिला-बरस्ती	सदस्य	गृहणी
8	श्रीमती विद्यावती	श्री बाँजेश कुमार	ग्रा०-कालैसर पो०-सहजनवा, जिला-गोरखपुर	सदस्य	समाज सेविका
9	श्री सुबिन बी जॉर्ज	श्री बाँबू जॉर्ज	63/44 शंकरपुरी छितवापुर रोड, जिला-लखनऊ	सदस्य	नौकरी



दिनांक

हस्ताक्षर

रामकौशल

भनक दुलारी

Whislaad

रामकौशल

विद्यावती

Rishu


केतकी देवी

Dinesh

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्ठा
प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता... 10.08.22



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Signature
AC Name-Ganesh Kumar Singh
AC Code- UP14481204
Address-Coleetaria Kachua-Ba
N-138 Tanda Bhindia-E
Mobile No-7888188522

₹10

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP09582851301014U
: 06-Jun-2022 09:20 AM
: NEWIMPACC (SV)/ up14481204/ BASTI SADAR/ UP-BST
: SUBIN-UPUP1448120410781146351321U
: GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT
: Article 24 Copy or Extract
: Not Applicable
:
: GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT
: Not Applicable
: GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT
: 10
(Ten only)



₹10

Please write or type below this line

IN-UP09582851301014U

जनरल स्टाम्प पेपर... ग्रामीण विकास समिति सामग्री
जिला... इंदौर नं... १०७१२४७०२
संख्या संलग्न है।

A
सहायक रजिस्ट्रार
फस्ट स्पेशलिटीज एवं विदेश
मुमुक्षु (३० प्र०)
106-22

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.simpliestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT GRAMIN VIKAS SEWA SAMIT

01/2011-2014/01/2



संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : ग्रामीण विकास सेवा समिति
2. संस्था का पता : ग्राम - भैंसहिया, पोर्ट - दुधौरा (डिलिया)
विकासखण्ड - बस्ती सदर,
तहसील व जिला - बस्ती (उ० प्र०) 272002
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. संस्था का उद्देश्य : समृद्धि-पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यता के वर्ग:-

कोई भी व्यक्ति जो प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क, स्वरस्य चित्त तथा संविदा करने की अर्हता रखता हो संस्था के सदस्य नियमों के अधीन हो सकता है। सदस्यता के निम्न लिखित वर्ग होगे:-

1. आजीवन सदस्य :-कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र भरकर आजीवन सदस्य बन सकेगा। उसे 1001/- की सदस्यता शुल्क जमा करना होगा। यह सदस्यता शुल्क दो.किस्तों में भी जमा कर सकेगा।
2. विशिष्ट सदस्य :-विशिष्ट सदस्य वो होंगे जो 501/- सदस्यता शुल्क जमा कर नियमों के आधीन सदस्य हो सकेंगे। विशिष्ट सदस्य समिति के निविधन प्रार्थना -पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।
3. सामान्य सदस्य :-सामान्य सदस्य वो होंगे जो 101/- जमा कर सदस्य हो सकेंगे। सामान्य सदस्यों की सदस्यता के लिए दो आजीवन या विशिष्ट सदस्यों की संस्तुति आवश्यक होगी सामान्य सदस्यों को प्रति वर्ष सदस्यता का नवीनीकरण कराना होगा अन्यथा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

6. सदस्यता की समाप्ति :- कोई सदस्य संस्था का सदस्य नहीं रह सकेगा यदि -

1. सदस्य द्वारा ग्रामीण विकास सेवा समिति के नियम विरुद्ध कार्य किया गया हो।

2. संस्था के किसी भून या सम्पत्ति का कोई दुरुपयोग किया हो।

3. मत्यु, पागलपन, दिवालिया होने, न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दंडित किये जाने या संस्था का सदस्यता शुल्क न जमा करने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. शाश्वत वैष्णव बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

7. संस्था के अंग :- संस्था के निम्नलिखित दो अंग होंगे।

1. साधरण सभा :- आजीवन, विशिष्ट और सामान्य सदस्यों से मिलकर साधारण सभा के सदस्यों में से ही प्रबंध कारणी समिति का गठन उप विधि के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रबंधकारिणी समिति :- ग्रामीण विकास सेवा समिति के प्रबंध के लिए प्रबंधकारिणी समिति का गठन उप विधि के अनुसार किया जायेगा। प्रबंधकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव/प्रबंधक/निदेशक एक कोषाध्यक्ष, एक लेखा परीक्षक और 4 कार्यकारणी सदस्य बहुमत से नियमानुसार निर्वाचित किये जायेंगे।

रामलीला

जनकपुर

Khagdai

रामलीला

विद्यावती

कौतकी देवी

लीला
निकू

A

सहायक संजिस्ट्रार
कम्प, सोमाइटीज एवं चिट्ठ
जोरकोपुर (उ० प्र०)

साधारण सभा

अ. गठन :—आजीवन, विशिष्ट और सामान्य सदस्यों को मिलकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा। जिसकी कुल सं० 21 होगी।

ब. बैठक :—साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार जून में होगी किन्तु विशेष बैठक अध्यक्ष की अनुमति से सचिव किसी भी समय बुला सकेगा किन्तु सदस्यों को बैठक की सूचना अनिवार्य रूप से देना होगा।

स. सूचना अवधि :—साधारण सभा की बैठक की सूचना सदस्यों को बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले फोन के माध्यम से, डाक द्वारा, कोरियर, ई—मेल द्वारा अथवा सदस्यों की सुविधा अनुसार दी जायेगी।

द. गणपूर्ति :—साधारण सभा का 2/3 या 21 सदस्यों में से जो भी कम हो बैठक की गणपूर्ति होगी। एक बार बैठक अस्थगित होने पर अगली बैठक के लिए कोरम की आवश्यता नहीं होगी।

४. क. अधिवेशन की तिथि :—सचिव अध्यक्ष की अनुमति से वार्षिक या विशेष अधिवेशन की तिथि माह जून में निश्चित कर सकेगा।

ख. साधारण सभा के कर्तव्य एंव अधिकार :—साधारण सभा के सदस्यों के निम्नलिखित कर्तव्य एंव अधिकारी होंगे।

१. प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव में भाग ले सकेंगे।

२. नियोजित शुल्क जमा करने पर अध्यक्ष/सचिव की अनुमति से समिति के प्रपत्रों की प्रतिलिपि पाने या अक्षयप्रकरण करने का अधिकार होगा।

३. संस्था के वार्षिक बजट पास कराना।

४. संस्था के वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराने में सहयोग कराना।

५. संशोधना 2/3 बहुमत से पास कराना।

६. संस्था के बहुमत सम्पत्ति का देखभाल करना।

७. प्रबंध कारिणी समिति :

अ. गठन :—साधारण सभा के सदस्य बहुमत से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव/प्रबंधक एक कोषाध्यक्ष, एक लेखा परीक्षक एंव कार्यकारिणी के 4 सदस्यों का निर्वाचन कर संस्था के प्रबंधकारिणी समिति का गठन कर सकेंगे। जिसकी कुल संख्या 9 होगी।

ब. बैठकें :—प्रत्येक तीन माह (तिमाही) यानि 90 दिनों पर एक बार प्रबंधकारिणी समिति की समान्य बैठक होगी, जिसमें तीन महीने भर के कार्यों की पुष्टि और अगले तीन महीनों के कार्यक्रमों पर विचार होगा। प्रबंधकारिणी समिति की विशेष बैठक अध्यक्ष की अनुमति से सचिव किसी भी समय बुला सकेगा।

स. सूचना अवधि :—प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व और विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व प्रत्येक दशा में पदाधिकारीयों एंव कार्यकारिणी के सदस्यों को देना अनिवार्य होगा। जिसका उत्तरदायित्व सचिव/प्रबंधक/निदेशक का होगा।

द. गणपूर्ति :—प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष, सचिव सहित 2/3 सदस्यों की गणपूर्ति बैठक के लिए आवश्यक होगी।

रामबाबू

Chhabildas

2015

S. B.

✓

रामबाबू
केतकी देवी

विद्यावती
पाठ्य-

जनकपुरी

सहायक संजित्तार

कम्पनी, नेपाल ई-चिट्ट

जनकपुर (उ०.प०)

य. रिक्त स्थानों की पूर्ति :-प्रबंधकारिणी समिति के किसी पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर उसका निर्वाचन 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष/सचिव रिक्त पद पर कार्यकारिणी सदस्यों में से किसी को 6 माह के लिए अस्थायी तौर पर नामित कर सकेगा।

10. प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य और अधिकार :-

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वर्षिक बजट तैयार कराना।
3. कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति करना।
4. संस्था के लिए संपत्ति जुटाना।
5. संस्था के कार्यक्रमों के अनुसार पदों का सृजन करना।

11. कार्यकाल :-प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पांच साल तक होगा और कार्यकाल पूरा होने के दो माह के भीतर नयी प्रबंधकारिणी समिति का गठन अनिवार्य होगा।

12. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारीयों का अधिकार व कर्तव्य :-

(क) अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य :-साधारण सभा के सदस्य आपस में से ही बहुमत से निर्वाचन प्रक्रिया के बहुत एक अध्यक्ष का चयन करेंगे जिसके निम्नलिखित कर्तव्य एंव अधिकार होंगे।

- 
1. ग्रामीण बैठकास सेवा समिति के बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो संस्था के उददेश्यों की पूर्ति के लिये वह उचित एंव आवश्यक समझे तथा संस्था द्वारा पारिसुप्रस्तावों द्वारा उसे सौंपे जाय।
 2. सचिव के साथ समिति के समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।
 3. अपने अधिकारों को उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबंधक में से किसी को सौंप सकेगा और जब चाहे वापस ले जायें तब उपाध्यक्ष के अधिकारों को उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबंधक में से किसी को सौंप सकेगा।
 4. संस्था के हित में एक बार में ₹0 15,000.00 (₹0 एक पन्द्रह हजार मात्र/-) तक बिना कोई प्रस्ताव लाये तत्कालीन प्रभाव से व्यय कर सकेगा।
 5. संस्था के अधिकारियों की चैन समिति का गठन करेगा।

(ख) उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
2. अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अधिकारों एंव कर्तव्यों का पालन करेगा।
3. अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नया निर्वाचन होने की अवधि में अध्यक्ष का पद संभालेगा और इस अवधि में उसे अध्यक्ष के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

जनकुमारी

रामलीला

Ramleela
Rishabh

कैतकी देवी

रामराव
विद्यावती

A

सहायक सचिव
फर्म, सोसाइटीज एवं विट्रन

(ग) सचिव / प्रबंधक / निदेशक :— सचिव/प्रबंधक के निम्न कर्तव्य एंव अधिकार होंगे—

1. ग्रामीण विकास सेवा समिति" का कार्यपालक अधिकारी होगा और समिति के कार्यों के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पद सूजन कि लिये उत्तरदायी होगा।
 2. सचिव/प्रबंधक/निदेशक संस्था के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा जो अध्यक्ष एंव प्रबंधकारिणी समिति द्वारा उसे सौंपे जांय।
 3. प्रस्तावों का कार्यरूप देगा, संस्था के सभी बैक खातों एंव प्रपत्रों, दस्तावेजों, अनुबंध पत्रों पर अध्यक्ष अथवा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के साथ हस्ताक्षर करेगा, रोकड़ बाकी का प्रबंध करेगा और अपनी अभिरक्षा में करेगा।
 4. संस्था के सभी बहियां, रजिस्टरों और अभिलेखों को उचित रूप से रख—रखाव कराने नियत कालीन विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार कराने और ठीक समय पर अध्यक्ष एंव प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 5. समिति के अधिकारीयों कर्मचारियों के चयन समिति का मुख्य प्रभारी होगा।
6. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार कर सकेगा सभी प्रपत्रों और हिसाब—किताब की जिम्मेदारी संभालेगा। सचिव रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र) तक एक बार में अध्यक्ष से अनुमति/स्वीकृति लेकर एंव अपने विवेक से रु0 20,000.00 (रु0 बीस हजार मात्र) तक एक बार में व्यय कर सकेगा।
- प्रतिवर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निम्नलिखित प्रपत्रों को तैयार करायेगा।
- (क) 31 मार्च तक के वर्ष भर की आय—व्यय का नक्शा जून के अंत तक।
 - (ख) 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वर्ष के लेना—देना और पावना का नक्शा।
 - (ग) संस्था/कार्यालयीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
- (घ) प्रत्येक वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा चार्टड एकाउण्टेण्ट के प्रमाण—पत्र के लिए प्रपत्रों द्वारा जांच घड़ाताल करायेगा।
- (ङ) वर्ष के अन्त में पूंजी और जिम्मेदारी को अध्यक्ष की संस्तुति के साथ कम से कम एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन की व्यवस्था करायेगा।

8. संस्था के समस्त कर्मचारियों के वेतन, वेतन वृद्धि, वेतन भत्ता एंव भविष्य निर्वाह निधि के अंशदान की व्यवस्था एंव स्वीकृत प्रदान करेगा।
9. नियमानुसार बजट में दी गई व्यवस्था के भीतर समिति के कोष का प्रशासन एंव नियन्त्रण करेगा।
10. बैठक के लिए अध्यक्ष की अनुमति से तिथि निश्चित करना अथवा टाल देना।
11. समिति के प्रस्ताव के अनुसार उन समस्त धनराशियों एंव चल—अचल सम्पत्तियों का उपयोग संस्था के हित में कर सकेगा।

जनकदुबारी

रामलोह

१५५५

१५५५

रामलोह
कातकी देवी
विद्यावती
१५५५

सहायक रजिस्ट्रार
फस्स, स्टेटइंस्टीज एंव विद्युत
प्रबंध (उ० प्र०)

12. संस्था के कार्यकर्ताओं के अनुसार पदों का सृजन अध्यक्ष की अनुमति से कर सकेगा।

13. सचिव/प्रबंधक/निदेशक प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन नीति (Human Resource Policy), वित्त/वित्तीय नीति (Finance Policy), खरीद नीति (Procurement Policy), यौन उत्पीड़न नीति (sexual harassment policy) एवं आवश्यकता के अनुसार अन्य नीति/पॉलिसी तैयार करेगा एवं आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ष बदलाव कर प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

14. सचिव/प्रबंधक/निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का नियुक्ति—पत्र जारी कर कार्यकर्ता के साथ अनुबंध किया जाए तथा कार्यकर्ताओं के मानदेय/वेतन, यात्रा भत्ता आदि भुगतान अनुबंध के अनुसार किया जाए।

(घ) कोषाध्यक्ष :-अध्यक्ष, सचिव या उसके प्राधिकृत पदाधिकारी के दिशा निर्देशन में नगद कोष का दायित्व संभालेगा और इसका हिसाब—किताब समय से प्रस्तुत करेगा।

(ङ.)लेखा परीक्षक :-



1. अध्यक्ष अथवा सचिव/प्रबंधक एवं प्रबंधकारिणी समिति द्वारा सौंपे गये सभी दायित्वों का निर्वहन करना।

2. समिति के समस्त लेखा व्यवस्था सम्बंधी कार्यों का संपादन करना।

3. समिति के समस्त लेखा व्यवस्था की आन्तरिक एवं बाह्य निरिक्षण करना एंव वर्ष के अन्त में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समिति के प्रपत्रों की जांच कराने, प्रपत्रों को तैयार करने में संस्था के सचिव/प्रबंधक का सहयोग करना।

13. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य उपविधि के धारा 10 में किये गये हैं।

14. संस्था की लियम, लिमियमोंमें संशोधन की प्रक्रिया :- उक्त प्रयोजन हेतु बुलायी गयी साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा नियमावली के नियमों को घटाया—बढ़ाया जा सकेगा और नये उद्देश्य जोड़े जा सकेंगे। नियमावली के शब्दों के अर्थ में भ्रम या विवाद उत्पन्न होने पर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रबंधकारिणी की बैठक में विचार विमर्श के बाद तय किया जा सकेगा और बहुमत का निर्णय मान्य होगा। जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

15. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) :- ग्रामीण विकास सेवा समिति का कोष निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। जिसका खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, डाकघर में अध्यक्ष, सचिव/प्रबंधक, कोषाध्यक्ष इनमें से किन्हीं दो अथवा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अधिकृत किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जा सकेगा और उसका संचालन किया जा सकेगा और ऐसे सभी प्रकार के ऋण, दान, अनुदान, चन्दा, उपहार तथा अन्य प्रकार के

जननंपुलारी

Wishal

गगमला

कृतकी दीपि

Zhim

विद्यावारी

कृष्ण

सहायक सचिव
फर्म, सेसिटीज एवं चिट्स
निपुर (झू प्र०)

दस्तावेजों/अनुबंध पत्रों पर अध्यक्ष, सचिव/प्रबंधक कोषाध्यक्ष इनमें से किन्हीं दो अथवा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अधिकृत किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से हास्ताक्षरित किया जा सकेगा।

संस्था के द्वारा यदि किसी भी शिक्षण/प्रशिक्षण व शोध केन्द्रों की स्थापना की जाती है जैसे— नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट के नाम से अथवा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ऐसे केन्द्रों का लेखा जोखा अलग रखा जायेगा एंव इसके वित्तीय रख-रखाव हेतु अलग से खाते का संचालन किया जायेगा। संचालन हेतु प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किन्हीं दो पदाधिकारियों को अधिकृत किया जायेगा। खाते के संचालन हेतु अधिकृत व्यक्ति प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य अथवा संचालित केन्द्र/संचालित परियोजना के कोर टीम का पदाधिकारी भी हो सकता है।

खादी ग्रामोद्योग, उ० प्र० खादी कमीशनबोर्ड/आयोग, अनसूचित बैंकों, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार, लिमिटेड एंव प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सम्मानित व्यक्तियों, जनप्रति निधियों, तथा विदेशी एजेंसियों, कपाट, महिला कल्याण निगम, विश्व बैंक आदि से आर्थिक सहयोग के रूप में ऋण, दान, अनुदान व चन्दा, उपहार के रूप में प्राप्त करना तथा नियमानुसार व्यय करना और आवश्यता पड़ने पर संस्था की चल एंव अचल सम्पत्ति को गिरवी/बंधक रखना। अर्थिक सहायता की अदायगी की जिम्मेदारी समस्त सदस्यों से सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत अलग-अलग रूप से होगी।



1. सदस्यांशुलक
2. चन्दा
3. ऋण
4. दान एंव अनुदान तथा उपहार

- खादी ग्रामोद्योग, उ० प्र० खादी कमीशनबोर्ड/आयोग, अनसूचित बैंकों, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार, लिमिटेड एंव प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सम्मानित व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, तथा विदेशी एजेंसियों, कपाट, महिला कल्याण निगम, विश्व बैंक आदि से आर्थिक सहयोग के रूप में ऋण, दान, अनुदान व चन्दा, उपहार के रूप में प्राप्त करना।

16. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण :—ग्रामीण विकास सेवा समिति के आय-व्यय देना, पावना के प्रपत्रों का लेखा परीक्षण वर्ष में एक बार चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

17. संस्था द्वारा या उसके विलङ्घ अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायीत्व :—कोई भी मुकदमा जो ग्रामीण विकास सेवा समिति द्वारा या विलङ्घ दायर होगा वह अध्यक्ष/सचिव के पद नाम से किया जा सकेगा है और ऐसे मुकदमों का व्यय भार संस्था वहन करेगी। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए बस्ती के जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकारी होगा।

Chishad

कानकी देवी

विद्यावती

मिलम

जनकांगुली

ललिता

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म, सेसाइटीज एवं विद्रू

श्रीमपुर (उ० प्र०)

18. संस्था के अभिलेख :- ग्रामीण विकास सेवा समिति और उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के कारोबार का हिसाब किताब इस ढंग से रखने का प्रबंध किया जायेगा जिसे संस्था के वास्तविक आर्थिक लेखा विवरण प्रदर्शित करने हेतु समय-समय पर उचित समझौं। सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, सूचना पुस्तिका आदि अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखें जायेंगे।
19. संस्था के विघटन और निर्विवादित सम्पत्ति के निर्धारण की कार्यवाही :- ग्रामीण विकास सेवा समिति का विघटन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 तथा उ0 प्र0 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स 1975 की धारा 13 (9) और 14 के प्राविधानों के तहत साधारण सभा के 2/3 बहुमत अथावा प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।
20. संस्था के उद्देश्य के पूर्ति एवं संस्था के संचालन में सहयोगी, उपयोगी विविध विवरण :- सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 तथा उ0 प्र0 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स 1975 की धारा (2) तथा नियम (4) के अन्तर्गत विविध विवरण लिखित होगा :-
1. ग्रामीण विकास सेवा समिति के पंजीकृत मुख्यालय के पते में किसी प्रकार के परिवर्तन में सूचना एवं परिवर्तन के 30 दिनों के अन्दर निबन्धक/सहायक निबन्धक तथा सभी संदस्यों को भेजा जायेगा।
 2. संस्था की बैठक में बहुमत के अनुमोदन से ऐसे सभी पूँजी/सम्पत्तियों को बट्टे में डाला जा सकेगा जो किया कलापा से कोई सम्बंध न हो।
 3. संस्था में ऐसे विषयों पर कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं लाया जा सकेगा जिसका संस्था के उद्देश्यों और
 4. संस्था के विविध संचालन के लिए साधारण सभा और प्रबंधकारिणी समिति संस्था के हित में समय-समय पर प्रस्ताव पारित कर ऐसे निर्णय ले सकेगी जो अधिनियम और उपविधि के अनुकूल हों। हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति ग्रामीण विकास सेवा समिति का गठन किया है।

सत्य प्रतिलिपि :-

दिनांक :

रामबाल

विद्यावती

रामबाल

जनक दुलारी

रामबाल

रामबाल
लमिता

कित्ती देवी

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्स सोसाइटीज तथा विद्युत
उ0 प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता... 10/06/2022